

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : ५८

दिनांक : 17.07.2025

:: संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र सं. 14 पी आई 2025 दिनांक 09/07/2025 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नगेन्द्र सिंह, आर. जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा निम्नवत् आदेश पारित करता हूँ कि माह जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) को निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निष्पादित किया जावेगें :-

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी
01	20/07/2025	श्री सुभाष चन्द्र कोठिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा मो.न. 85609-57778
02	26/07/2025 व 27/07/2025	श्रीमती प्रियंका पुरोहित, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-05, भीलवाड़ा मो.न. 82330-41970
03	03/08/2025	श्री विशेष नागरवाल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा मो.न. 82909-81697
04	09/08/2025 व 10/08/2025	श्री रोहित बेनीवाल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्व-भीलवाड़ा मो.न. 97996-51904
05	15/08/2025 व 16/08/2025 व 17/08/2025	सुश्री तन्वी माथुर एन.आई. एक्ट संख्या-01 भीलवाड़ा मो.न. 96722-61842
06	23/08/2025 व 24/08/2025	सुश्री भारती उपाध्याय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-04, भीलवाड़ा मो.न. 97858-32494
07	31/08/2025	श्री सुभाष चन्द्र कोठिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा मो.न. 85609-57778
08	02/09/2025	श्री विशेष नागरवाल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा मो.न. 82909-81697
09	05/09/2025	श्री रोहित बेनीवाल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्व-भीलवाड़ा मो.न. 97996-51904
10	07/09/2025	सुश्री प्रियंका चौहान, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-03, भीलवाड़ा मो.न. 91668-17710

11	13/09/2025 व 14/09/2025	सुश्री भारती उपाध्याय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-04, भीलवाड़ा मो.न. 97858-32494
12	21/09/2025 व 22/09/2025	श्रीमती रूपल अग्रवाल, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-02, भीलवाड़ा मो.न. 97838-61154
13	27/09/2025 व 28/09/2025	सुश्री प्रियंका चौहान, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-03, भीलवाड़ा मो.न. 91668-17710
14	30/09/2025 व 01/10/2025 व 02/10/2025	श्री मंयक प्रताप सिंह, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम, भीलवाड़ा मो.न. 64626-62588

निर्देश :-

01. यह कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा।
02. अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
03. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
04. नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

क्रमांक :

दिनांक : 17.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र।
3. उपरोक्त समस्त न्यायालय
4. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा।
5. अक्षयक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाड़ा।
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा।
8. जिला कारागृह, भीलवाड़ा।
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

::CIRCULAR::

No. 14/P.I./2025

Date: 09.07.2025

It has come to the notice that more than one Magistrates are deployed for remand duties on holidays in various Talukas of single Judgeships. In addition to the Magistrates, Additional District Judges are also deployed for remand duties on holidays. The practice has no legal sanction and against the welfare of Officers.

Therefore, it is enjoined upon all the District & Sessions Judges/ Chief Judicial Magistrates that as far as possible following directions be complied with:-

1. The tendency of multiple remand duties on different Taluka headquarters of same Judgeship is disapproved. In the ordinary course of matters, the remand duty should be fixed on Judgeship headquarters only.
2. There should be only one Magistrate on remand duty on regular holidays. In case of heavy workloads in Metropolitan Judgeships adequate number of Magistrates may be placed on remand duty during holidays.
3. The tendency of remand duty of Special Judges/Addl. District Judges on regular holidays (except Vacation duty) is disapproved. First remand order in such matters may be passed by the Remand Magistrate on duty.
4. It is made clear regarding the subsequent remands that they should not be fixed for any holiday or vacation. Next date of subsequent remands should be fixed with regard to working days only.
5. In case of any unforeseen emergency holidays, District & Sessions Judge shall make adequate and effective arrangement for remands. In such a contingency one Magistrate and one Addl. District Judge may be deputed for extending the regular remands.



BY ORDER

Manish
9/7
REGISTRAR GENERAL

Date: 09.07.2025

No. Gen/XV/85/2025/1250

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. All the District & Sessions Judges, Rajasthan.
2. All the Chief Judicial Magistrates, Rajasthan.

Manish
9/7
REGISTRAR GENERAL

CSH
9/10/25

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक: 3034

दिनांक 14/07/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को प्रेषित है।

14/7/25
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भीलवाड़ा